



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/06/39/2016/एफ०सी०/361

दिनांक : 02/11/16

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),  
उत्तर प्रदेश शासन,  
बापू भवन, लखनऊ।

विषय: जनपद आगरा फतेहाबाद मार्ग (एस०एच०-62) किमी० 23 व 24 के मध्य चैनेज 23.280 की दांयी पटरी पर ग्राम-मेवली कलां के खसरा संख्या-1187, 1188 व 1191 में एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0748 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- पी-63/14-2-2016-800 (62)/2016, दिनांक- 30.09.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 18.05.2016 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या विशेष सचिव, उ० प्र० शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि चाही गयी सूचना के बिन्दु संख्या-18 के अनुपालन में सूचित किया है कि आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है, परन्तु निराकरण करते हुए क्या कार्रवाई की गयी है उसके बारे में सूचित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में आगे की कार्रवाई संभव नहीं है।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. मण्डलीय प्रबन्धक, एस्सार ऑयल लि०, ए-5, सेक्टर-3, नोएडा, उ० प्र०।
3. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
4. आदेश पत्रावली।

(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक [केन्द्रीय]